राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3891/2025

सत्यनारायण शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्टार, राजस्व मंडल, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, बांरा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.08.2025
आदेश की दिनांक : 28.08.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रोहित सैनी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार रजिस्ट्रार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर ने अपीलार्थी का आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.08.2025 को तहसीलदार अंता बारा से तहसीलदार आनन्दपुरी बांसवाड़ा किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 167 पर दर्ज है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी का दिनांक 19.10.2025 को कार्य व्यस्थार्थ नायब तहसीलदार अंता जिला बारा में कार्यग्रहण किया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी का पदोन्नति आदेश दिनांक 28.03.2025 को जारी किया गया, जिस आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 21 पर दर्ज है (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी ने दिनांक 29.07.2025 को तहसीलदार अंता बारा में कार्यग्रहण किया गया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी दिनांक 06.08.2025 को मात्र 4 माह की अल्प अवधि में आलोच्य स्थानांतरण आदेश कर दिया गया है जबकि अपीलार्थी की डेढ माह बाद सेवानिवृती दिनांक 30.09.2025 को है। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से 250 कि.मी. की दूरी पर पदस्थापित किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 को निरस्त कर अपीलार्थी को तहसीलदार अंता जिला बारा यथावत कार्य करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि स्थानांतरण आदेश संख्या 9839 दिनांक 06.08.2025 द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण न्यायोचित एवं उचित है। अपीलार्थी का स्थानांतरण तहसीलदार, अंता, बारां के पद से

तहसीलदार, आनंदीपुरी, बांसवाड़ा के पद पर किया गया था। पदोन्नति के पश्चात, अपीलार्थी को तहसीलदार, आनंदीपुरी, बांसवाड़ा में पदोन्नति पद पर पदस्थापना दी गई थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि तहसीलदार, अन्ता, बारां से तहसीलदार, आनन्दीपुरी, बांसवाड़ा अपीलार्थी का स्थानांतरण हुआ है। विभाग द्वारा दी गई स्थानान्तरण प्रतिबंध में शिथिलन प्राप्त करने के बाद स्थानांतरण/पदस्थापना की गई। अपीलार्थी की पदस्थापना राजस्व विभाग में हुई पदोन्नतियों के कारण की गई है और नवनियुक्त तहसीलदारों को पदोन्नति के पदों पर पदस्थापित करने के लिए, अपीलार्थी को भी आनन्दीपुरी, बांसवाड़ा में तहसीलदार के पद पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी को दिनांक 19.10.2024 के आदेश द्वारा अंता, जिला बारां में कार्य व्यवस्था पर तैनात किया गया था। अपीलार्थी को दिनांक 28.03.2025 के आदेश द्वारा वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरुद्ध नायब तहसीलदार के पद से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है तथा दिनांक 29.04.2025 को उन्होंने तहसीलदार, अंता, बारां के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसे दो वर्ष से पहले स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यह आधार कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है। डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 53/2020, जिसका शीर्षक गोपालराम पुत्र लिखमाराम है, में माननीय उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया किः–

> "Admittedly, the transfer of a Patwari from one place to another within the Sub&Division, District, Division or State is regulated by Rule 9 of the Rules of 1957 which nowhere restricts the transfer of a Patwari prior to completion of a particular period of posting at a particular place. The circular/instructions issued by the State Government providing for transfer of Patwari after completion of the tenure of two years, are in the nature of guidelines not enforceable and cannot be construed in the manner suggested so as to put absolute restriction on the power to be exercised by the authorities enumerated under Rule 9 to transfer a Patwari for administrative exigency or other contingencies specified- In other words, notwithstanding the instructions issued by the State Government as aforesaid, the authority empowered can transfer a Patwari at any time for administrative exigency in accordance with Rule 9 of the Rules. It is a different matter that even otherwise in absence of administrative exigency, an employee holding the transferable post cannot be frequently transferred by his employer at his whims and fancy, but on the facts and in the circumstances of the case, in no manner, it can be inferred that the appellant has been transferred without there being any administrative exigency and it is not even the case of the appellant that he

has been subjected to frequent transfer- In view of the discussion above, we are in agreement with the view taken by the learned Single Judge of this Court. No case for interference by us in intra court appeal."

दिनांक 06.08.2025 का स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक कारणों से पारित किया गया था, अतः दूरी स्थानांतरण को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती। उक्त स्थानांतरण आदेश पारित करने में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या दुर्भावना नहीं है। तहसीलदार के पद की वरिष्ठता राज्य स्तर पर है, अतः वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर पदस्थापना हेतु दावा नहीं कर सकता। प्रशासनिक और सार्वजनिक कारणों से कर्मचारी को किसी भी स्थान पर स्थानांतरित करना नियोक्ता का कर्तव्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 2323/2023, जिसका शीर्षक हिमेश भावसार बनाम राजस्थान राज्य है, में दिनांक 16.03.2023 के आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया हैः –

"Since the petitioner is a government servant, he is liable to be transferred in the administrative exigency from one place to another- The grounds raised in the petition does not warrant any interference in the transfer order issued by the respondent - Department- No mala-fide has been alleged nor the transfer order passed by the Competent Authority is assailed on the ground that the authority, who has passed the transfer order, is not competent to transfer the petitioner- A bare perusal of the transfer order dated 14-01-2023 shows that 151 persons have been transferred and the petitioner has not been singularly chosen."

आदेश संख्या 9839 दिनांक 06.08.2025 द्वारा लगभग 266 स्थानांतरण/पदोन्नति की गई है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि स्थानांतरण आदेश दोषपूर्ण एवं अवैध है। स्थानांतरण आदेश किसी भी व्यक्ति को सुविधा प्रदान करने हेतु पारित नहीं किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन तहसीलदार के पद पर अंता बांरा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से तहसीलदार आनंदपुरी जिला बांसवाड़ा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 29.03.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा पदोन्नति पर अंता जिला बांरा में तहसीलदार के पद पर कार्यग्रहण कर लिया था। जहां तक अपीलार्थी की राजकीय सेवा से सेवानिवृति 13.09.2025 को होने के बावजूद एक जिले से दूसरे जिले में

स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 में प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को है, 2 वर्ष पूर्व प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इसका आशय है कि सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाते हैं ताकि कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर उसके परिलाभों का यथासमय भुगतान हो सके। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य सिविल याचिका संख्या 14577/2016 में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अयुक्तियुक्त माना है। अधिकरण का इन प्रकरणों में सदैव यह मत रहा है कि सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर लोक सेवक का स्थानान्तरण जिले के बाहर नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी की सेवानिवृति 31.09.2025 नियत है। अंता में तहसीलदार के पद पर किसी को पदस्थापित नहीं किया है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलौच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य